

सावधि जमाराशियों पर प्रभावी ब्याज दरें

विषयान्तर्गत, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पत्र संख्या सं/7/8/2017 आरआरबी म. प्र. दिनांक 11.01.2019 के अनुपालन में पूर्ववर्ती नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक तथा म.प्र. सेन्ट्रल ग्रामीण बैंक का समामेलन दि 01 अप्रैल 2019 को हो गया है, तदनुसार नवगठित "मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" की समस्त शाखाओं में **दि 01 अप्रैल 2019** से निम्नानुसार ब्याज दरें लागू रहेगी :-

रु. 1.00 करोड़ से कम एवं रु. 1.00 करोड़ एवं अधिक की जमा हेतु समान रूप से लागू ब्याज दर :-

क्र.	अवधि	दिनांक 01.04.2019 से लागू दर % प्रतिवर्ष
01	07 से 14 दिन तक*	4.50%
02	15 से 45 दिन तक	4.50%
03	46 से 90 दिन तक	6.30%
04	91 से 179 दिन तक	6.30%
05	180 से 269 दिन तक	6.30%
06	270 से 364 दिन तक	6.30%
07	1 वर्ष व अधिक एवं 3 वर्ष से कम तक	6.90%
08	3 वर्ष हेतु	6.90%
09	3 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक	6.90%
10	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	6.90%

* 7 दिन से 14 दिन तक अवधि हेतु न्यूनतम जमा राशि रु 1.00 लाख होगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त ब्याज दरें रु. 1.00 करोड़ से कम एवं रु. 1.00 करोड़ एवं अधिक की जमा हेतु समान रूप से लागू होंगी।

उक्त संशोधित ब्याज दरें सभी नवीन सावधि जमा राशियों एवं नवीनीकरण पर लागू होगी।

वरिष्ठ नागरिक : 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर देय होगी।